24
84

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

राजस्व प्रकरण संख्या 154/2020

नवीन प्रकरण संख्या ..154.../2020

1. बींजा पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।
—वादीगण

बनाम

2. कल्याण पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम मोठी तहसील अरांई जिला अजमेर राज. वगै.
— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि.1955

दिनांक 09/1/2024

उक्त प्रकरण राजस्व न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी महोदय, अरांई के समक्ष पूर्व में 154/2020 पर दर्ज किया जाकर पक्षकारान की सुनवाई की जा रही थी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अपील आदेश दिनांक 08.02.2017 की सुनवाई हेतु मंगवाया गया। जिसके क्रम में पत्रावली को माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी को भेजा गया। दिनांक 29.09.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करके पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा में प्रतिप्रेषित की है।अतः इसी क्रम में उपरोक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर क्रमांक .154../2020 पर दर्ज किया जाता है तथा वकील पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 09/2/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

09/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगणों के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वास्ते बहस अन्तिम पत्रावली दिनांक 08/3/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

08/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 24/5/24 को पेश हो।

मुकदमा 1541/2020 बी.जी.यू. - गलावटी

धारा 212

28/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश शपथपत्र, दस्तावेजात व वकील प्रार्थी की बहस से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सं. 1,2 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक की कार्यवाही विपक्षीगण से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बालापुर के खसरा नम्बर 205 रकबा 2-3-00, ख. नं 206 रकबा 00-07-00 कुल किता 2 कुल रकबा 02-10-00 भूमि में ~~विपक्षी~~ प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वाद ग्रस्त भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश की प्रति लिखवाया जावे। खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली पैरवी सूचना हेतु रखकर पेश हो।

WB